संख्या: सीपी - 153/29-8-2006-सीपी 49/97

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
2, राणा प्रताप मार्ग, मोती महल,
लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग - 8 लखनऊ :: दिनांक :: 28 मार्च, 2006

विषय: **उपभोक्ता संरक्षण अधिष्ठान (राज्य आयोग एवं जिला फोरम) के आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में वेतन समिति (1997-99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गये निर्णय को लागू किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (1997-99)/ मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर आशुलिपिक संवर्ग के विषय में शासन द्वारा लिये गये सामान्य निर्णय तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या- 13-ई0एम0/87-का-4/2005, दिनांक 26 अगस्त, 2005 के माध्यम से निर्गत सामान्य व्यवस्था के क्रम में उपभोक्ता संरक्षण अधिष्ठान के आशुलिपिक संवर्ग में इस शासनादेश के अनुलग्नक-1 के स्तम्भ -2 में उल्लिखित पदनाम स्तम्भ-3 में दिनांक 1.1.1996 से लागू वेतनमानों एवं स्तम्भ-4 में उल्लिखित पदों की संख्या को अनुलग्नक-2 के स्तम्भ-2 के अनुसार पदनाम स्तम्भ-3 के अनुसार वेतनमान एवं स्तम्भ-4 के अनुसार पदों की संख्या को स्तम्भ-5 में उल्लिखित शर्तो के अधीन दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 से निर्धारित करने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय इस अतिरिक्त प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि अनुलग्नक-2 के अनुसार पुनर्गठन का लाभ संबंधित कार्मिकों को इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगा कि -

आशुलिपिक संवर्ग के उल्लिखित सभी पदों के संबंध में नियुक्त प्राधिकारी रजिस्ट्रार राज्य आयोग ही होंगें तथा इन पदों के धारकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उन्हें एकीकृत संवर्ग के सदस्य मान कर निर्धारित होगी।

2. उपर्युक्तानुसार संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 से 26 अगस्त, 2005 (कार्मिक विभाग के सामान्य निर्देश के निर्गत होने की तिथि तक) अनुलग्नक-2 के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ...ों की पूर्ति पर उच्चीकृत वेतनमानों में आने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण सामान्य नियमों (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 22(ए-1)) के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा। दिनांक 26 अगस्त, 2005 के उपरान्त उक्त वेतनमानों में इस शासनादेश के अनुलग्नक - 2 के स्तम्भ-5 में उल्लिखित प्रावधानों की पूर्ति पर पदोन्नत/नियुक्त होने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण पदोन्नति हेतु लागू सामान्य नियमों के अनुसार किया जायेगा।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि संवर्ग में प्रथम स्तर पर भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता इन्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रतिमिनट की निर्धारित गति तथा टंकण में 25 शब्द प्रतिमिनट की गति के साथ इनफारमेंशन टेक्नालोजी विभाग के परामर्शानुसार कम्प्यूटर ज्ञान की अर्हता डी0ओ0ई0 ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी।

4. संबंधित नियमावली (यदि कोई हो) में आवश्यक संशोधन/समावेश दिनांक 26 अगस्त, 2005 से प्रभावी किया जायेगा।

5. उक्त शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या- वे0 आ0-1-130/दस -2006 दिनांक 27.03.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

6. **उपरोक्तानुसार उच्चतर पदों के विरुद्ध कर्मचारियों के समायोजन/पदोन्नति में** [illegible]

संख्या- सीपी 153(1)/29-8-2006-सीपी 49/97, तद्दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार लेखा (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) लोक सेवा आयोग,उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0।
(4) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग -7
(6) बजट अनुभाग - 1 एवं 2
(7) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग - 1/2 (तीन-तीन प्रतियों में)
(8) खाद्य एवं रसद अनुभाग - 2/3
(9) कार्मिक अनुभाग-1/2
(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(कपिल देव त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- सीपी 153/29-8-2006-सीपी 49/97, दिनांक 28 मार्च, 2006 का संलग्नक

अनुलग्नक-1

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4
1-	आशुलिपिक	रू0 4000-100-6000	75
2-	आशुलिपिक	रू0 5000-150-8,000	....
3-	वैयक्तिक सहायक	रू0 5500-175-9,000	02
4-	निजी सचिव	रू0 6500-200-10,500	01
			कुल पद- 78

अनुलग्नक-2

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	नियुक्ति/पदों की प्रक्रिया
1	2	3	4	5
1	आशुलिपिक ग्रेड- 2	रू0 4000-100-6000	39 (उन्तालिस)	सीधी भर्ती
2	आशुलिपिक ग्रेड- 1	रू0 5000-150-8000	23 (तेईस)	07 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले आशुलिपिक ग्रेड-2 से पदोन्नति द्वारा
3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	रू0 5500-175-9,000	12 (बारह)	आशुलिपिक ग्रेड-1 के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष अथवा संवर्ग में कुल 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले आशुलिपिक ग्रेड-1 से पदोन्नति द्वारा
4	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	रू0 6500-200-10,500	04 (चार)	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष अथवा संवर्ग में कुल 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 से पदोन्नति द्वारा

(कपिल देव त्रिपाठी)
विशेष सचिव।